

**Next-Gen  
GST**  
Better & Simpler

कार  
हुई सस्ती  
हमारा सफर हुआ  
आसान



1500CC से कम की  
कार पर ₹70,000  
से अधिक की बचत

1500CC से ज्यादा की कार की  
कीमत में भी भारी गिरावट



## साउदी अरब का पाक को गुपचुप समर्थन, अब खुल्लम-खुल्ला गठबंधन में परिवर्तित हुआ

दोनों देशों के मध्य हुए “डिफेंस” अनुबंधन से, “एक पर आक्रमण, दोनों पर आक्रमण” माना जायेगा

-सुकुमार साह-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 18, सिंतंबरा एक नाटकीय घटनाक्रम, जो दक्षिण एशिया के रणनीतिक मानविक्रांत को बदल सकता है, में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुधवार को दिया दिया में एक रणनीतिक पारस्पर्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में यह बचन दिया गया कि एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। प्रधानमंत्री शाहजाहन शरीफ की काउन्सिल प्रेस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हुई राजा यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ, जो दोनों से चल रहे अनौपचारिक सैन्य संबंधों को

- साउदी अरब को पाकिस्तान के “न्यूकिलियर बम” की सुरक्षा (न्यूकिलियर छाते) का लाभ मिलेगा तथा पाकिस्तान के लिए साउदी की आर्थिक ताकत व सद्भावना एक कवच का काम करेगी।
- भारत के लिए डबल संकट है। साउदी अरब को भारत खाड़ी देशों में अपना सबसे नज़दीकी राष्ट्र गिनता था। पाकिस्तान से कई बार हुए युद्धों के दोरान भी भारत ने साउदी अरब से रिश्ते दोस्ती भरे ही रखे थे और साउदी अरब, भारत का पाँचवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है तथा साउदी अरब के लिए भी भारत दूसरे नव्वर पर सबसे बड़ा व्यावसायिक पार्टनर रहा है।

एक बाधकारी संघ में बदल देते हैं। साझा रणनीतिक हितों में निहित है। इसमें संयुक्त बयान में इस समझौते को गहन रक्षा सहयोग और किसी भी घटनाक्रम है जिसे नई दिल्ली आठ दशकों को साझेदारी के परिणाम आक्रमण के विशेष एक मजबूत संयुक्त वित्तानक नज़रों से देख रही है। पहली लोकिंग इसके पछे एक ऐसे संयुक्त बयान देते हैं, उन्हें चीफ गैस्ट बनाने से विद्युत वित्तानक नज़रों से देख रही है। पहली लोकिंग इसके पछे एक ऐसे संयुक्त बयान देते हैं, उन्हें चीफ गैस्ट बनाने से विद्युत वित्तानक नज़रों से देख रही है।

संयुक्त बयान में इस समझौते को गहन रक्षा सहयोग और किसी भी घटनाक्रम है जिसे नई दिल्ली आठ दशकों के परिणाम आक्रमण के विशेष एक मजबूत संयुक्त वित्तानक नज़रों से देख रही है। पहली लोकिंग इसके पछे एक ऐसे संयुक्त बयान देते हैं, उन्हें चीफ गैस्ट बनाने से विद्युत वित्तानक नज़रों से देख रही है।

## मुस्लिम द्वारा मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज

कर्नाटक सरकार ने 22 सितम्बर से शुरू हो रहे दशहरा उत्सव में बुकर विजेता, लेखिका बानू मुश्ताक को चीफ गैस्ट बनाया है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 18, सिंतंबरा गुरुवार को गई जिसमें प्रसिद्ध लेखिका “बानू मुश्ताक” द्वारा कर्नाटक में दशहरा उत्सव का उद्घाटन किए जाने पर आपात जताई गई है।

हाल ही में जिसका उद्घाटन किया जाने की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है, जिसके उद्घाटन किये जाने की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है, जिसके उद्घाटन किये जाने की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है।

हाल ही में जिसका उद्घाटन किया जाने की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है, जिसके उद्घाटन किये जाने की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है।

- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ने केवल विद्यार्थी स्वीकार कर ली है, बल्कि उसकी शीघ्र सुनवाई पर भी सहमति दे दी है।

- याचिका में कहा गया है कि बानू मुश्ताक पूर्व में कई हिंदू विरोधी बयान देते हुए हैं, उन्हें चीफ गैस्ट बनाने से विद्युत भवानाएं आहत हुई हैं।

- ज्ञातव्य है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन